न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | प्रार्थना पत्र 136 LR Act |
| 30.11.2021 | पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– दिवराला में पेश हुई। वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2843/भू.अ./2020 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पचायंत–दिवराला में आयोजित शिविर में वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का पेश किया। जो मजमे–ए–आम में वारिसान की जानकारी लेकर स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित पक्षकारान् ने दौराने शिविर ही उपस्थित होकर प्रार्थीगण के वारिसान के नाम 2/3 हिस्सा की खातेदारी व शेष 1/3 हिस्सा की खातेदारी मु0 प्रभाती देवी बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला के नाम दर्ज किये जाने बाबत सहमति पत्र मजमें–ए–आम में पेश किया। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थित पक्षकारान् की पहचान श्री रामावतार सैनी, सरंपच, ग्राम पंचायत दिवराला के द्वारा की गई। सहमति पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |
| | यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को ग्राम पंचायत–दिवराला में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। |
| | 30/11/21<br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br>कैम्प–दिवराला |

(रामावतार सैनी)
सरपंच
ग्राम पंचायत दिवराला
पं. स. अजीतगढ़ (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर(राजस्थान)

## कैम्पः– दिवराला

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | आरसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 52/2019 | 2019/175 | 22.07.2019 | 30.11.2021 |

उनवान प्रकरण

जगू पुत्र शंकरराम मृत्तक के बजायः–

1/1. रामलाल पुत्र स्व0 जगू

1/2. बनवारीलाल पुत्र स्व0 जगू

1/3. कौशल पुत्र स्व0 जगू

1/4. चौथमल पुत्र स्व0 जगू

1/5. सरदारमल पुत्र स्व0 जगू

1/6. महावीर पुत्र स्व0 जगू

1/7. श्रवणी देवी पुत्री स्व0 जगू

1/8. राजू देवी पुत्री स्व0 जगू

समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।
2. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

—अप्रार्थीगण—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री हनुमान राम सामोता एड0 – प्रार्थीगण की ओर से

30/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

**पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

**–:: निर्णय ::–**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 2727 रकबा 0.88 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम अंकित है। उक्त कृषि भूमियों में से प्रार्थी ने भूमि की खातेदार काश्तकार मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला से जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 26.05.95 को 1/3 भूमि खरीद की गई जिसका विकय लेख दिनांक 26.05.95 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 84 कम संख्या 232 पर पंजीबद्ध किया गया एंव अतिरिक्त पुस्तक संख्या 102 पृष्ठ संख्या 41–43 पर चस्पा किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 316 पटवारी हल्का द्वारा विकय लेख के आधार पर भरा गया। जिसको तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 23.03.96 को तस्दीक किया जाकर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी ने भूमि के खातेदार कांश्तकार मु0 प्रभाती बेवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला से जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 07.01.97 को 1/3 भूमि खरीद की गई जिसका विकय लेख दिनांक 07.01.97 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 142 में पृष्ठ संख्या 75 कम संख्या 57 पर पंजीबद्ध किया गया एंव अतिरिक्त पुस्तक संख्या 113 पृष्ठ संख्या 97–99 पर चस्पा किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 358 पटवारी हल्का द्वारा विकय लेख के आधार पर भरा गया। जिसको सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला द्वारा दिनांक 20.05.1997 को तस्दीक किया जाकर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। प्रार्थी ने केवल मात्र 2/3 हिस्सा की भूमि उक्त दोनों रजिस्टर्ड विकय लेखों के आधार पर खरीद की गई है। बाकी 1/3 हिस्सा की भूमि [illegible] काश्तकार मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी [illegible] कर्मचारियों तत्कालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की [illegible] 1/3 हिस्सा की भूमि बैचान का विकय लेख प्रार्थी के हक में भूमि की खातेदार मु0 [illegible]ाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested

20/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (सीकर)

निवासी दिवराला द्वारा दिनांक 26.05.1995 को विक्रय लेख से किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 316 पटवारी हल्का द्वारा विक्रय लेख के आधार पर भरा गया तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 23.03.96 को तस्दीक किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया गया था तथा उसका दुबारा गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 24.08.98 को भरकर व तस्दीक करके गलत रूप से खातेदार मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला की शेष बची 1/3 हिस्सा की भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों व पटवारी हल्का एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर की गफलत व लापरवाही के कारण हुई है। प्रार्थी ने खातेदारी सही रूप से 2/3 हिस्सा प्रार्थी एंव 1/3 हिस्सा मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला के नाम दुरूस्त किये जाने हेतु पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थी को माननीय न्यायालय से आदेश लाने लाने के लिए कहे जाने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नंबर 2727 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी सही रूप से हिस्सा 2/3 प्रार्थी के नाम एंव 1/3 हिस्सा मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 22.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2843/भू.अ./2020 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए राजस्व रिकार्ड खातेदा[illegible] रूप से हिस्सा 2/3 प्रार्थी के नाम एंव 1/3 हिस्सा मु0 प्रभाती [illegible] ब्राह्मण निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के नाम दुरूस्त [illegible]षा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested

30/11/21

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जॉच रिपोर्ट में की गई है। राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत दिवराला में आयोजित शिविर में वकील प्रार्थीगण मय पक्षकारान् ने उपस्थित होकर प्रार्थी के फौत होने पर प्रकूरण में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित पक्षकारान् ने दौराने शिविर ही उपस्थित होकर प्रार्थी के नाम 2/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज किये जाने तथा 1/3 हिस्सा की खातेदारी मु0 प्रभाती देवी बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला के नाम दर्ज किये जाने बाबत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाकर मजमे–ए–आम में पेश किया गया। जिस पर पक्षकारान् की पहचान श्री रामावतार सैनी, सरंपच, ग्राम पंचायत दिवराला के द्वारा की जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। सहमति पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों व तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से यह प्रतीत होता है कि ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 2727 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी दुरूस्त कर हिस्सा 2/3 प्रार्थी के वारिसान् 1/1 से 1/8 के नाम एंव शेष 1/3 हिस्सा मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के नाम दुरूस्त करने का निवेदन पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। उक्त त्रुटि पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा होना प्रकट होता है। जिसे राजस्व अधिंकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (सीकर)

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्व[illegible]ारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व [illegible] जाता है। ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भू[illegible] 0.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है[illegible] तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी दुरूस्त कर हिस्सा 2/3 प्रार्थी के वारिसान् 1/1 से 1/8 के

20/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम एंव शेष 1/3 हिस्सा की खातेदारी मु0 प्रभाती बैवा मुरलीधर जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के नाम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— दिवराला

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान— 2021 के तहत ग्राम पंचायत— दिवराला में आयोजित शिविर के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

30/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— दिवराला

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested